प्रस्तावित शोधकार्य की रूपरेखा

राजस्थान के अजमेर संभाग में बाल संरक्षण एवं पुनर्वास का
एक समाजशास्त्रीय अध्ययन
(किशोर न्याय अधिनियम 2000 के विशेष संदर्भ में)

A Sociological Study Child Protection & Rehabilitation
in
Ajmer Division of Rajasthan
(With Special Reference of Juvenile Justice Act-2000)

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

को

(कला संकाय के अन्तर्गत)

पीएच.डी. (समाजशास्त्र)

शोध–उपाधि

पंजीयन के लिए प्रस्तुत सार–संक्षेप

(Synopsis)

2012

शोध निर्देशंक

डॉ. एच.एन. व्यास
Dr. H.N. Vyas
वरिष्ठ व्याख्याता (समाजशास्त्र)
Research Supervisor
Deptt. of Sociology
मा.ला.वर्मा राजकीय महाविद्यालय,
MLV Govt. P.G. College
BHILWARA (Raj.)
भीलवाड़ा–311001 (राज.)

शोधकर्ता

अभिषेक गुजराती

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

शोध पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

विभागाध्यक्ष,
शोध अनुभाग
म.द.स. विश्वविद्यालय,
अजमेर।

प्राचार्य,
मा. ला. वर्मा राजकीय महाविद्यालय
भीलवाड़ा -311001 (राज.)

विषयः– शोध पंजीयन हेतु आवेदन।

महोदय / महोदया,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि विश्वविद्यालय के परिपत्र क्रमांकः एफ–15 / शोध / मदसविवि / 84892 दिनांक 23-11-2012 में वर्णित सूचना के अनुसार मैनें निर्धारित कोर्स वर्क सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है और इस परिपत्र के बिन्दु संख्या–1 में दिये गये निर्देशों के अनुसार शोध पंजीयन हेतु यह आवेदन निम्नांकित वांछनीयता पूरी करते हुए प्रस्तुत कर रहा हूं / रही हूं :–

1. मुझे आवंटित शोध पर्यवेक्षक डॉ. एच. एन. व्यास हैं उन्होंने यह आवेदन पत्र मय दस्तावेज अग्रेषित कर दिया है।
2. आवेदन शुल्क राशि रू.500 / – का डी.डी. नं. 309453 दिनांक 22-12-2012 (कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नाम)
3. अध्यादेश 124.10 में निर्धारित परिशिष्ठ–IV के अनुसार Format for outline of Proposed Research Work (6 प्रतियों) में वांछित शोध पर्यवेक्षक के प्रमाण पत्र, (परिशिष्ठ– VI) के साथ संलग्न है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया इस आवेदन पत्र को संलग्न दस्तावेजों के साथ निदेशक शोध, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर को शोध पंजीयन की कार्यवाही हेतु अग्रेषित करावें।

मुझे ज्ञात है कि शोध पंजीयन से शोधोपाधि प्राप्त होने की अवधि में मैं अन्य कोई उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकता / सकती। यदि इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय से कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट (नियमित / पार्ट टाईम / दूरस्थ शिक्षा) इस अवधि में करना चाहूंगा / चाहूंगी तो वह मैं तब ही करूंगा / करूंगी जब मुझे मेरे शोध पर्यवेक्षक यह प्रमाण पत्र दे देंगे कि इस पाठ्यक्रम को करने से शोध कार्य बाधित नहीं होगा।

संलग्न– उपर्युक्त

प्रार्थी,

दिनांक 6.7.2013

हस्ताक्षर

पूरा नाम एवं पता अभिषेक गुजराती S/o श्री हनुमान गुजराती 'अयन' 5 टापगढ़ रोड, राज. महाविद्यालय के सामने, अजमेर

टेलीफोन / मोबाईल नं0 01462-225671
मो. नं. 9829237468

आवंटित सेवारत शोध पर्यवेक्षक की अग्रेषण टिप्पणी

मैं, डॉ0 एच. एन. व्यास इस विश्वविद्यालय का पंजीकृत शोध पर्यवेक्षक हूं। वर्तमान में मा. ला. वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा (राज.) में कार्यरत हूं। मेरी सेवानिवृत्ति की दिनांक 31.7.2026 है। शोध पंजीयन हेतु उक्त आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेज निदेशक, शोध, म.द.स. विश्वविद्यालय को कृपया अग्रेषित कराएं।

दिनांक : 6.7.2013

हस्ताक्षर

नाम Dr. H.N. Vyas

टेलीफोन / मोबाईल नं0 9414740195

Research Supervisor
Deptt. of Sociology
MLV Govt. P.G. College
BHILWARA (Raj.)

आवंटित सेवानिवृत्त शोध पर्यवेक्षक की अग्रेषण टिप्पणी

मैं, डॉ0 .... इस विश्वविद्यालय का पंजीकृत शोध पर्यवेक्षक हूं। मैं दिनांक .... को .... से सेवानिवृत हो चुका हूं। उक्त अभ्यर्थी को ....विभाग/ महाविद्यालय में शोध करने की अनुमति प्राप्त कर ली है, जो संलग्न है। शोध पंजीयन हेतु उक्त आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेज निदेशक, शोध, म.द.स. विश्वविद्यालय को कृपया अग्रेषित कराएं।

दिनांक :

हस्ताक्षर ....
नाम ....
टेलीफोन/मोबाईल नं0 ....

क्रमांकः 1208 दिनांकः 6.7.2013

निदेशक (शोध)
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर– 305009

शोधार्थी अभिषेक गुजराती .... का शोध पंजीयन हेतु, आवंटित शोध पर्यवेक्षक से अनुशंषित आवेदन पत्र मय संलग्न उपर्युक्त दस्तावेजों के साथ शोध पंजीयन हेतु अग्रेषित है।

हस्ताक्षर एवं सील, प्राचार्य/ विभागाध्यक्ष
प्राचार्य
मा. ला. व. राजकीय महाविद्यालय
भीलवाड़ा

शोध अनुभाग के उपयोग हेतु

आवेदन पत्र की जांच कर ली गई है। अतः संबंधित शोध पंजीयन समिति की बैठक में निर्णयार्थ रखे जाने योग्य है

हस्ताक्षर जांच कर्ता

अथवा

आवेदन पत्र की जांच की गई और निम्न कमियां पाई गई जिनकी पूर्ति करायी जानी है :–

1.

2.

3.

आवेदन पत्र में पाई गयी उक्त कमियां अभ्यर्थी द्वारा दिनांक .... को पूरी कर दी गयी है। अतः संबंधित विषय शोध समिति की बैठक में निर्णयार्थ रखे जाने योग्य है।

हस्ताक्षर जांच कर्ता

APPENDIX - VI

MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY, AJMER

Certificate By Supervisor

Certified that :

1. I am willing to guide the research work of Shri/~~Km.~~/~~Smt.~~ ...Abhishek Gujarati... on the above subject if he/she is registered for Ph.D.

2. To the best of my knowledge, the subject selected has not been studied and is not being studied so far in any University.

3. The subject is of sufficient scope to keep the candidate engaged for two years.

4. The subject will lead to a valuable contribution. I have seen and approved the outline of proposed research work submitted by the candidate.

5. I have ...One+One... (give numbers) Research candidates registered under my supervision and the serial number of this candidate whose application is being forwarded for registration is ...03... (give the serial number)

6. The candidate is not in a close relation (the term of close relation is defined in the examination ordinance of the University)

6/7/2013

Dr. H.N. Vyas
Research Supervisor
Deptt. of Sociology
MLV Govt. P.G. College
BHILWARA (Raj.)

Signature of the Supervisor with date

Certified that the available facilities will be extended to Shri/Km./Smt. ...Abhishek Gujarati... for research work if he/she is registered for Ph.D.

Signature of the Principal/ Director of the Institution with date

प्राचार्य
मा. ला. व. राजकीय महाविद्यालय
भीलवाड़ा

6.7.2013

Signature of the Head, Department with date

Dr. H.N. Vyas
Research Supervisor
Deptt. of Sociology
MLV Govt. P.G. College
BHILWARA (Raj.)

APPENDIX - IV

MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY, AJMER

Format for Outline of Proposed Research work
(to be supplied in Six copies)

1. Nameof Scholar (In English) ABHISHEK GUJARATI

   (In Hindi) अभिषेक गुजराती

2. Title of the Research Work : A Sociological Study Child Protection & Rehabilitation in Ajmer Division of Rajasthan

   (In English) (With Special Reference of Juvenile Justice Act-2000

   (In Hindi) राजस्थान के अजमेर संभाग मे बाल संरक्षण एवं पुनर्वास एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (किशोर न्याय अधिनियम 2000 के विशेष संदर्भ मे)

3. Location
   a. Institution/Department where the work is to be done
   b. Geographical area of Investigation, if any.

4. Introduction Importance of Proposed Investigation, Objectives. 2 - 13
5. Review (Work already done on the subject of proposed Research Study.) 14 - 21
6. Research Gaps identified in the proposed field of investigation. (Based on the review) 22
7. Major Hypothesis, if any. 22
8. Research Methodology. 23
9. List of References cited. 24 - 26

Agujarati
Signature of the Candidate with date
5/7/2013

Outline Approved.

Name and Signature of supervisor with date & seal.

प्राचार्य
मा. ला. व. राजकीय महाविद्यालय
भीलवाड़ा

6.7.2013

M.L.V. GOVERNMENT P.G. COLLEGE

BHILWARA (RAJ.)

Dated: 6. 7. 2013

CERTIFICATE

Certified that the available facilities will be extended to **Mr. Abhishek Gujarati** for research work if he is registered for **Ph.D.**

6. 7. 2013

Siganture of the Principal with date

M.L.V.Govt. P.G. College

Bhilwara (Raj.)

मा. ला. व. राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा

Signature of Supervisor with date

Department of Sociology

Bhilwara (Raj.)

FORMAT FOR OUTLINE OF PROPOSED RESEARCH WORK

(To be supplied in Six Copies)

1-	**Name of Scholar**	**(In English)**	**:**	**Abhishek Gujarati**
		(In Hindi)	**:**	अभिषेक गुजराती
2-	**Title of Research Work**			
		(In English)	**:**	**A Sociological Study of Child Protection & Rehabilitation in Ajmer Division of Rajasthan (With Special Reference of Juvenile Justice Act-2000)**
		(In Hindi)	**:**	राजस्थान के अजमेर संभाग में बाल संरक्षण एवं पुनर्वास का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (किशोर न्याय अधिनियम 2000 के विशेष संदर्भ में)

3- Location

(a) Institution/Department Where the work is to be done : P.G. Department of Sociology, M.L.V. Govt. P.G. College, Bhilwara (Raj.)

(b) Geographical area of Investigation

प्रस्तावित शोध कार्य का भौगोलिक क्षेत्र –

प्रस्तावित शोध कार्य का भौगोलिक क्षेत्र राजस्थान के अजमेर संभाग के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के समस्त बालगृहों पर आधारित है।

4- **Introduction, Importance of the Proposed Investigation, Objectives**

प्रस्तावित शोध कार्य का परिचय, महत्व एवं उद्देश्य –

वर्तमान भारतीय समाज में बाल संरक्षण एवं पुर्नवास और इसके संबंध में किशोर न्याय अधिनियम का व्यापक महत्व है। देश एवं समाज का भविष्य बहुत कुछ देश के बच्चों के समुचित संरक्षण और विकास पर निर्भर करता है। बच्चे न केवल राष्ट्र की धरोहर हैं, बल्कि भविष्य में उन्हीं के कन्धों पर देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व रहेगा। ऐसे ही बच्चों में विशेष परिस्थितियों वाले बच्चे जिन्हें देख–रेख एवं संरक्षण की जरूरत होती है, विधि से संघर्षरत बच्चे विधि के सम्पर्क वाले बच्चे जिनका सीधा संबंध समेकित बाल संरक्षण योजना व किशोर न्याय अधिनियम से होता है। प्रस्तुत शोध इन्हीं पर आधारित है। जिसकी समाज को अत्यधिक आवश्यकता है।

बाल अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के समझौते में बच्चों के नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है। बाल अधिकार 18 वर्ष से नीचे के सभी मानव जाति के मौलिक अधिकार तथा उसमें निहित अधिकार हैं। चूँकि दुनिया में बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में है। इसलिए हमें बाल अधिकारों पर उसकी निर्धारित परिधि से आगे जाकर ध्यान देने की जरूरत है। प्रस्तावित शोध में बच्चों के संरक्षण व पुनर्वास किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। जो कि समाजशास्त्र के ज्ञान की श्रृंखला में विशेष महत्व रखता है।

प्रस्तुत शोध से बाल संरक्षण संबंधित समेकित बाल संरक्षण योजना व किशोर न्याय अधिनियम तथा उस पर अमल के तौर तरीकों के प्रभाव का असर देखने के लिए उसका विवेचनात्मक विश्लेषण भी वांछनीय है। ताकि बाल अधिकार व संरक्षण के सही परिपेक्ष्य का स्वाभाविक मूल्यांकन किया जा सके।

यह शोध कार्य कानून, लोक प्रशासन, राजनीतिक विज्ञान संकाय में अन्तर्विज्ञानीय दृष्टिकोण से अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा।

शोध कार्य अन्त में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करेगा। अतः शोध कार्य अकादमिक क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ेगा, जिससे अन्य शोधार्थी भी लाभान्वित होंगे।

बाल सुरक्षा काफी पेचीदा विषय है और बच्चों को बाल श्रम, अवैद्य व्यापार (टैफिकिंग) तथा दूसरे सभी प्रकार के शोषणों तथा सामाजिक अपवर्जना से विशेष रक्षा की जरूरत है।

अल्पसंख्यक समूह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के रूप में उनकी सामाजिक अपवर्जना होती है। उपलब्ध सेवा तथा इससे संबंधित सूचनाओं का अभाव विधित संबंध अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी के साथ कानून पर अमल तथा पुनर्वास प्रक्रिया में अन्तर चिन्ता का बड़ा कारण है।

प्रस्तुत शोध कार्य से उपरोक्त अधिनियम व बाल संरक्षण योजना का समाज शास्त्रीय विश्लेषण द्वारा समाजवाद, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समानता के विभिन्न पक्ष उजागर होंगे। जिससे समाज के ऐसे बच्चे :–

1. जिन्हें देखरेख और संरक्षण की जरूरत है।
2. विधि से संघर्षरत बच्चे।
3. विधि से सम्पर्क वाले बच्चे।

आदि के संबंध में संरक्षण व पुर्नवास की विशेष जानकारी उपलब्ध होगी।

इस शोध द्वारा किशोर न्याय अधिनियम व समेकित बाल संरक्षण योजना के सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणामों एवं प्रभावों की जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे सरकार एवं प्रशासन को नये कानून बनाने तथा पुराने कानून में संशोधन एवं परिवर्तन करने में सहायता मिलेगी।

इस शोध से किशोर न्याय अधिनियम व समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सैद्धांतिक व व्यावहारिक पक्षों की जानकारी मिलेगी। साथ ही ऐसे बच्चे जिन्हे संरक्षण की जरूरत है, विधि से संघर्षरत बच्चे, विधि से सम्पर्क वाले बच्चे आदि के लिये अधिनियमों का सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियोजन, पुनर्वास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि में भूमिका एवं महत्त्व का बोध होगा।

शोध के माध्यम से बाल संरक्षण योजना में अधिनियम के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा और अधिनियम व योजना के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का ठीक ढंग से पता चलेगा।

1. **बाल संरक्षण** : इसका अर्थ हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से बच्चों की सुरक्षा, सरकार की योजना प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण घटक के रुप में उभरा है । इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे जो दुर्व्यवहार, शोषण और उपेक्षा के शिकार हैं, जो कठिन परिस्थितियों मे रह रहे हैं और ऐसे बच्चे जो जरुरतमंद हैं जैसे – एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित और विकलांग बच्चे, ये भी अधिक नही तो समान रुप से संवेदनशील है । जिन्हें अपनी सुरक्षा और अधिकारों की प्राप्ति के लिए विशेष प्रावधान की जरुरत है ।

   भारतीय संविधान में बच्चों की असुरक्षित स्थिति तथा संरक्षण के उनके अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है । संविधान के अनुच्छेद 15 में कानूनों तथा नीतियों के माध्यम से जो उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करती है – बच्चों पर विशेष ध्यान देने की गारंटी दी गई है । संविधान के अनुच्छेद 14,15,16,17,21,23 एवं 24 में समानता का जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा तथा शोषण से सुरक्षा के अधिकारों का उल्लेख है ।

   'बाल संरक्षण' बच्चों को उनके जीवन एवं बचपन को महसूस किये गये अथवा वास्तविक जोखिम से बचाने से सम्बन्धित है । ये किसी भी प्रकार की क्षति के प्रति उनकी असुरक्षा को कम करने तथा हानिकारक परिस्थितियों में उन्हें

संरक्षण प्रदान करने से सम्बन्धित है । बाल संरक्षण यह सुनिश्चित करने से सम्बन्धित है कि कोई भी बच्चा सामाजिक सुरक्षा एवं बचाव जाल के बाहर न हो और यदि कोई होता है तो उसे आवश्यक देखरेख, संरक्षण तथा सहायता प्राप्त हो ताकि उन्हें पुनः समाज के सुरक्षाजाल में लाया जा सके ।

2. **पुनर्वास** : देखरेख और संरक्षण के जरुरतमंद बच्चे जो समाज की मुख्यधारा से अलग हो गये हैं, और असुरक्षित हैं ऐसे बच्चों को सरकारी तथा गैर–सरकारी प्रयासो द्वारा पुनः समाज की मुख्यधारा में स्थापित करने को पुनर्वास कहते है । इस प्रक्रिया द्वारा ऐसे बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोलना, अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पूरक पोषण, वजीफा आदि प्रदान किये जाते है ।

किशोर न्याय अधिनियम, 2000 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 2006 में प्रवर्तकता, पालन–पोषण, देख–रेख, दत्तक–ग्रहण तथा पश्चात्तवर्ती देखरेख के माध्यम से बच्चों को पुनर्वास और पुनः समेकन की सुविधा दी गई है । पुनर्वास की स्थायी प्रक्रिया दत्तक ग्रहण है । ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वास्तविक माता–पिता से स्थायी रुप से अलग हो चुका बच्चा, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है या उसे बेसहारा बनाकर छोड़ चुके हैं, सभी अधिकारों, विशेष लाभों और दायित्वों के साथ, जो इस सम्बन्ध के साथ जुड़े है, दत्तक ग्रहण करने वाले माता–पिता के रुप में संदर्भित नये माता–पिता के पास जाकर उनकी वैध संतान बन जाता है ।

Introduction, of Integrated Child Protection Scheme (I.C.P.S.)

समेकित बाल संरक्षण योजना का परिचय–

भारत सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007 से 2012 के अन्तर्गत पहली बार बाल संरक्षण एवं चाइल्ड बजटिंग को महत्वपूर्ण स्थान देत हुये वर्तमान में 11वीं पंचवर्षीय योजना की सबसे महत्वाकाँक्षी योजना समेकित बाल संरक्षण योजना तैयार की गई। जिसे वर्ष 2009 में लागू किया गया है। नव आरम्भ समेकित बाल संरक्षण योजना केन्द्र–राज्य सरकार की परस्पर भागीदारी से किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के प्रावधानों की अक्षरशः पालना एवं अन्य बाल संरक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु आर्थिक संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

यह योजना ''बाल अधिकार संरक्षण योजना'' और ''सर्वोत्तम बाल हित'' के दिशा–निर्देशक सिद्धान्तों पर आधारित है। इसमें बाल संरक्षण के लिए पूर्व से संचालित नवीन योजनाओं को एक ही छत के नीचे लाया जाकर इनके संचालन के लिए आर्थिक संसाधन की उपलब्धता मुख्यतः केन्द्र सरकार द्वारा सुनिश्चित करते हुए इसका कुछ अनुपात राज्य सरकार द्वारा वहन करने का प्रावधान किया गया है।

लक्षित समूह :–

1. देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे।
2. विधि से संघर्षरत बच्चे।
3. विधि के संपर्क वाले बच्चे।

Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000

किशोर न्याय(बालकों की देख–रेख और सरंक्षण) अधिनियम 2000

अपराध करने पर व्यक्ति विशेष को किस प्रकार दण्डित किया जाये, इसके लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता में विशेष विवरण दिया गया है। लेकिन भारतीय दण्ड संहिता में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अपराधी की मानसिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाये। छोटी उम्र में मानसिक स्थिति मजबूत एवं पूर्ण परिपक्व नहीं होती है। उसमें आवेश की मात्रा अधिक होती है। गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुए, (किशोर न्याय बालकों की देख–रेख और संरक्षण अधिनियम 2000) को संसद में पारित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 20 नवम्बर 1989 को बालकों के संरक्षण से संबंधित अधिकारों अंगीकार किया है।

1. **कानून का संक्षिप्त नाम व क्षेत्र जहां यह कानून लागू होगा तथा लागू होने की तिथि** : यह अधिनियम किशोर न्याय (बालक की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 है।

2. इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

3. यह उस तारीख लागू होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

4. अभी या फिलहाल लागू किसी कानून की कोई धारा के बावजूद, किशोर (बालक/बालिकाओं) की हिरासत, मुकदमा चलाना, जुर्माना करना या कारावास के दण्ड के मामलों में इस कानून की धाराऐं लागू होंगी।

2. **परिभाषाएं** – इस अधिनियम में सामान्यतः निम्नलिखित शब्दों के अर्थ इस प्रकार होंगे।

   (क) सलाहकार बोर्ड, धारा 52 के अधीन गठित एक केन्द्रीय या राज्य सलाहाकर बोर्ड या एक जिला और नगर स्तर का सलाहकार बोर्ड से मतलब है।

(ख) दत्तकग्रहण (गोद लेने की) प्रक्रिया से मतलब है जो बालक या बालिका किसी कारणवश अपने वास्तविक (जन्म देने वाले) माता–पिता से स्थायी रूप से पृथक हो जाते हैं और ऐसे बालक को जिन माता–पिता को गोद दिया जाता है वो उनकी धर्मज (कानून द्वारा) संतान बनती है, दत्तक (गोद लेने वाले) माता–पिता द्वारा समस्त अधिकार, विशेषाधिकार और उत्तरदायित्व दिये जाते हैं।

(ग) भीख मांगने का मतलब है –

1. एक सार्वजनिक स्थान में भीख की याचना करना, भीख मांगने के लिये किसी प्राईवेट परिसर में प्रवेश करना चाहे किसी भी बहाने से हो ।

2. भिक्षा, व्रण, घाव, क्षति, विकलांगता या रोग को प्राप्त कर भिक्षा मांगने के उद्देश्य से दर्शाना या प्रदर्शित करना चाहे स्वयं का या किसी दूसरे व्यक्ति या किसी पशु का हो ।

(घ) ''बोर्ड'' का मतलब धारा 4 के अधीन गठित एक किशोर न्याय बोर्ड से है,

(ङ) ''बालक/बालिका की देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता'' यहाँ उस बालक/बालिका से मतलब है –

1. जो घर या निश्चित निवास स्थान और जीवन निर्वाह के बिना पाया जाता है, भीख मांगता पाया जाये या गली का बालक हो या कार्यरत बालक हो, आदि अवस्था में ।

2. जो एक व्यक्ति के साथ रहता हो (चाहे संरक्षक हो या न हो)

(क) बालक को जान से मारने की या क्षति पहुँचाने की धमकी दी है या धमकी दिये जाने की काफी संभावना है या

(ख) किसी बालक/बालकों को जान से मार डाला है या गाली दी है या उपेक्षा की है या जान से मारने और गाली देने की युक्तियुक्त संभावना है।

3. मानसिक और शारीरिक रूप से धमकी दी जाती हो या बालक/बालिका असाध्य रोग से ग्रस्त हो और देखरेख करने वाला कोई नही हों।

4. जिसके एक माता–पिता या संरक्षक है और ऐसे माता–पिता या संरक्षक बालक पर नियन्त्रण रखने में अक्षम या अयोग्य या असमर्थ हों।

5. जिसके माता–पिता नहीं हो, जिन बालक/बालिकाओं को माता पिता ने त्याग दिया है, दूसरे को समर्पित कर दिया है, बालक भाग निकला हो या माता–पिता का पता करने और जांच करने पर भी नहीं मिले हों।

6. जिसका लैंगिक दुरूपयोग या अवैधानिक कृत्यों के लिए गंभीर तौर पर दुरूपयोग किये जाने या सताये जाने या शोषण किये जाने की संभावना है या किया जा रहा है।

7. जो बालक/बालिका असुरक्षित है और जिसे नशा करने या नशीली दवायें बेचने में लगाए जाने की संभावना है।

8. उन्हें अनैतिक लाभ के काम में लगाने की संभावना हो।

9. जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा का शिकार है।

(च) ''बालगृह'' से मतलब धारा 34 के अधीन राज्य सरकार द्वारा या स्वयं सेवी संगठन द्वारा स्थापित तथा सरकार द्वारा प्रमाणित एक संस्था से है।

(छ) ''समिति'' से मतलब बाल कल्याण समिति से है जो धारा 29 के अधीन गठित है।

(ज) ''सक्षम अधिकारी या प्राधिकरण'' से यहां मतलब उस समिति से है जो जरूरतमंद बालक/बालिका की सार संभाल करे या उस बोर्ड (समिति) से है जो कानून के विरूद्ध अपराध या आचरण करने वाले बालक की देखभाल करें।

(झ) ''उपयुक्त संस्था'' का अर्थ उस ऐसी सरकारी संस्था या रजिस्टर्ड गैर–सरकारी संस्था या स्वयं सेवी संस्था से है जिसे सरकार या सक्षम अधिकारी (प्राधिकरण) ने बालक/बालिका की देखरेख सार संभाल के लिए उपयुक्त (सही) पाया हो।

(ञ) ''योग्य व्यक्ति'' एक सामाजिक कार्यकर्ता है (या कोई दूसरा व्यक्ति) जो बालक की देखरेख के लिये स्वयं दायित्व लेने के लिये तैयार हैं, ऐसे व्यक्ति से मतलब है जिसे बालक की देखरेख के लिए सक्षम प्राधिकरण, अधिकारी या संस्था द्वारा उपयुक्त पाया हो।

(ट) ''संरक्षक'' का अर्थ स्वाभाविक संरक्षक यानी माता–पिता या वह व्यक्ति है जो बालक की देखरेख करता हो तथा सक्षम अधिकारी या प्राधिकरण ने मान्यता दी हो।

(ठ) ''किशोर'' या ''बालक'' एक ऐसे व्यक्ति से मतलब है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो।

(ड) ''विधि के साथ संघर्ष में किशोर'' एक ऐसे किशोर से मतलब है जिसके बारे में कहा है कि उसने अपराध किया और जिसने अपराध करने की तारीख तक 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

(ढ) नशीली अचेत करने वाली दवाइयाँ/ मन और मस्तिष्क को मंद करने वाली औषधि की परिभाषा नशीली दवा व शरीर मन मस्तिष्क को मंद करने संबंधी 1985 (1985 का 61) के कानून में दी गई है।

(ण) अवलोकन/निरीक्षण गृह का अर्थ ऐसे सरकारी गृह या स्वयं सेवी संस्था के गृह से है जहां उन बालकों को रखा जा सके, जो विधि के साथ संघर्षरत है, इसे बालगृह की श्रेणी में रखा जा सकता है।

(त) ''अपराध'' का अर्थ किसी विधि (कानून) के अधीन दण्डनीय अपराध से है।

(थ) ''सुरक्षित स्थान'' का मतलब किसी स्थान यानी संस्थान से है (जो पुलिस हवालात या जेल नहीं है) उस संस्था से या व्यक्ति से है जो अस्थाई तौर पर किशोर बालक/बालिका की देखरेख को तैयार है तथा जिसे सक्षम अधिकारी/प्राधिकरण ने बालक की सुरक्षा के लिये सही ठहराया हो।

(द) ''विहित'' का अर्थ इस कानून (अधिनियम) के अधीन बनाये गये नियमों से है।

(ध) ''परिवीक्षा अधिकारी'' परिवीक्षा (प्रोबेशन) अधिकारी से अभिप्राय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये एक अधिकारी से है।

(न) ''सार्वजनिक स्थान'' की परिभाषा वह होगी जो अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956(1956 का 104) में दी गई है।

(प) ''आश्रय घर'' से अभिप्राय धारा 37 के अधीन स्थापित किये गये एक गृह (घर या केन्द्र) से है।

(फ) ''विशेष घर'' से अभिप्राय सरकारी या गैर सरकारी संगठन द्वारा स्थापित संस्थान, गृह जिसे शासन द्वारा धारा 9 के अधीन प्रमाणित किया गया हो।

(ब) ''विशेष किशोर पुलिस इकाई'' से अभिप्राय राज्य के पुलिस बल की एक ईकाई जिसे धारा 63 के अन्तर्गगत किशोरों या बालकों की सार संभाल (प्रबन्ध) हेतु बनाया गया हो।

<u>विधि के साथ संघर्ष में किशोर</u> –

धारा–4–किशोर न्याय बोर्ड प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जायेगा। इस बोर्ड के निम्न सदस्य होंगे।

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (मेट्रोपोलिटन या एक प्रथम वर्ग के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट)
2. दो व्यक्ति (एक पुरूष एक स्त्री) जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हों।

<u>बालक जिसे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है</u> –

धारा–29–बाल कल्याण समिति– इस कानून (अधिनियम) के लागू होने पर राज्य सरकार एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्येक जिले के लिये एक या एक से अधिक बाल कल्याण समितियों का गठन करेगी। ये समितियां इस कानून के अनुसार किशोरों की देखरेख और संरक्षण संबंधी अपने अधिकार और कर्त्तव्यों का पालन करेगी।

इन समितियों में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगें। इनकी नियुक्तियां सरकार करेगी। सदस्यों में एक महिला व एक बाल विशेषज्ञ होगा।

<u>Objectives</u> उद्देश्य :

1. बाल अपराधियों व बेसहारा बच्चों की सामाजिक, आर्थिक समस्याओं की जानकारी प्राप्त होना।
2. बालकों के संरक्षण विकास सशक्तिकरण में किशोर न्याय अधिनियम व समेकित बाल संरक्षण योजना की भूमिका की जांच करना।
3. तुलनात्मक रूप से बाल अपराधियों की अधिनियम के सम्पर्क में आने के पूर्व एवं पश्चात् की स्थिति का विश्लेषण करना।
4. किशोर न्याय अधिनियम व समेकित बाल संरक्षण योजना बाल अपराधियों की प्रवृत्तियो को रोकने में कितना सफल हो रहा है, इसकी समीक्षा करना।
5. किशोर न्याय अधिनियम के क्रियानवयन में उत्पन्न बाधाओं व सुझावों को प्रस्तुत करना।

5- Review of work already done on the subject of proposed research study.
प्रस्तावित शोध विषय पर पूर्व में हुए शोधकार्यो का पुनरावलोकन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट [1] (**द चाईल्ड एबयुज़ इन इण्डिया 2007**) में कुछ ऐसे तथ्यों को शामिल किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि हमारे देश में बालकों के लिये सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक परिस्थितियाँ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो हम यह अपेक्षा कैसे कर सकते है कि यहां पर बाल अपराध और बालकों के द्वारा किया गया विचलन आसानी से नियंत्रित किया जा सकता हैं।

कार्लोस [2] (2009) अपने लेख ''द फैक्ट ऑन जुवेनाइल डेलिंक्वेसी'' मे लिखते हैं कि प्रतिदिन अखबारों में आने वाली खबरों को हम झुठला नहीं सकतें, पिछले कुछ वर्षो में बालकों में विचलन की प्रवृति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई हैं। जन संचार माध्यमों के संदर्भ में लेखक कहते हैं कि हमारे पत्रकार इन दिनों बाल अपराध की खबरें एकत्रित करने में व्यस्त हैं, दिन प्रतिदिन के जीवन में से हर रोज़ वे ऐसी कई घटनाऐं ले कर आतें हैं जिनमें जिक्र होता हैं कि बालकों में किस प्रकार अपराध की आदत, नशा करने की प्रवृति, बेवजह हिंसा करने की आदत आदि में किशोरों की बढती संख्या एक चिंता का विषय हैं।

पाश्चात्य देशों में किशोरो (Teenager's) का किसी गिरोह से जुड़ने की प्रवृति का तेजी से बढना एक प्रमुख समस्या बनती जा रहीं है, इन गिरोहों से जुड़ कर ये बालक आसानी से छोटे–छोटे अपराध जैसे – दुकानों में चोरी, असभ्य भाषा का प्रयोग करना, गुण्डागर्दी व आवारा गर्दी, तथा लूट खसोट करना सीख जाते हैं। जहां एक ओर स्कूल के वातावरण में कठोर तथा निष्ठुर अनुशासन बालकों में स्कूल के प्रति अरूचि पैदा कर देता हैं वहीं दूसरी ओर दण्ड संहिता में पाई जाने वाली लोचशीलता बालकों में अपराध करने में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। लेखक के अनुसार अपने बचपन में बालक के लिए उसे माता पिता एक प्रमुख आधार स्तंभ होते हैं जिनका

प्रभाव उस पर पड़ता हैं अतः नैतिकता तथा अच्छे बुरे के प्रति जिस प्रकार की सोच उन्हें सिखाई जाती है उसका उन पर स्पष्ट प्रभाव उनके विकास पर दिखाई देता हैं। उनके इस विकास के दौरान यदि माता–पिता के द्वारा उनके समाजीकरण पर पर्याप्त ध्यान दिया जाये वे स्वयं अपने बच्चों के सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत करें तो बालकों में होने वाले विचलन को रोका जो सकता हैं।

लीण्डसें [3] **(2009)** ने अपने लेख का प्रमुख केन्द्र विभिन्न देशों में होने वाले मध्यम वर्ग के बालकों में होने वाले अपराध को बनाया है। इस लेख में बताया गया है कि किस प्रकार आधुनिक तकनीकी के दौर में लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते है, लेखिका ने उदाहरण देते हुए लिखा है कि लोग हर वक्त खौफ से भरे रहते हैं, वे अपने घर तथा कारों में सिक्योरिटी सिस्टम लगवाते हैं, अपने पर्स, गहनों तथा महंगी वस्तुओ को हर समय छुपा कर रखते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि हम अपने दैनिक जीवन में अपने आप को कितना असुरक्षित महसूस करते हैं।

उन्होंने बाल अपराध के कारणों को दो प्रमुख भागों में विभक्त किया है – (1) वातावरणीय तथा (2) व्यक्तिगत। इसके अलावा इसके लगभग 12 उप कारणों का उल्लेख भी लेखक ने अपने शोध में किया हैं जो इस प्रकार हैं :– 1. बुरी संगत 2. युवा अवस्था प्राप्त करने से पूर्व की चंचलता की प्रवृति 3. पूर्व लैंगिक अनुभव 4. मानसिक संघर्ष 5. चलचित्रों का प्रभाव 6. अविश्वसनीय कृत्य करने की इच्छा 7. गलियों की असभ्य जिन्दगी 8. विद्यालय की शिक्षा प्रणाली से असंतुष्टता 9. भावनात्मक असंतुष्टि 10. मनोरंजन के साधनों की अकार्यकुशलता, 11. आकस्मिक प्रभाव 12. अन्य कारक।

इस प्रकार उन्होंने बाल अपराध के कारणों की विस्तृत व्याख्या की है तथा बाल अपराध को कानून के साथ जोड़ कर अध्ययन किया है। अध्ययन के अन्त में लेखक ने इस समस्या के समाधान के लिए बालकों के पूर्व समाजीकरण में नैतिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना हैं।

यहां पर पकड़े गये बाल अपराधियों को भी अदालत पर छोड़ दिया जाता हैं, अदालत जो उचित समझे वह सज़ा दे, चाहे तो छोड़ दे। आम तौर पर ये अदालतें बाल अपराधियों के साथ भी वही व्यवहार करती है जो एक सामान्य वयस्क अपराधी के साथ करती हैं। वर्मा ने अमेरिका के संदर्भ में बाल अपराध के कुछ स्वरूप बताये हैं जिनमें घर से लापता रहना, आदतन आवारागर्दी, रेल्वे ट्रेक्स पर घूमना, किसी का कहना नहीं मानना, माता–पिता के नियंत्रण में नहीं रहना, गन्दी एवं भद्दी गालियाँ प्रयोग मे लेना, किसी पुरूष या स्त्री से उसकी इच्छा के बिना शादी की चेष्टा करना इत्यादि भी बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। यह अवधारणा समय एवं स्थान के सापेक्ष होती हैं, अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि जो कार्य किसी एक स्थान पर अपराध माना जाता है वह प्रत्येक स्थान पर अपराध माना जाये। यह संभव हैं कि वे किसी समाज, राज्य, स्थान अथवा समय विशेष पर अपराध नहीं माने जायें।

थोम्पसन [4] (2008) ने अपने लेख का अध्ययन केन्द्र बाल अपचारियों के पुनर्स्थापन को माना है । लेखक का मानना है कि इस समय बाल अपचारियों के पुनर्स्थापन के प्रचुर विकल्प समाज में मौजूद हैं, बस आवश्यकता इस बात की है कि इस हेतु बालक और उसके माता–पिता दोनो को सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। लेखक ने अपने लेख में सुझाव दिया है कि किस प्रकार बाल अपचारियों को उनके अपराध के बाद फिर से समाज में सामान्य सदस्य की तरह से स्थापित किया जा सकता हैं, अपने लेख में पुनर्स्थापन के महत्त्व को बताते हुए लिखते हैं कि यदि बालकों के पुनर्स्थापन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाये तो बालकों मे अनुकूलनशीलता की अधिकता की वजह से उनके फिर से अपराध की ओर प्रवृत होने की संभावनाएँ वयस्कों की तुलना में ज्यादा होती है। इन कारणों को ध्यान मे रखते हुए लेखक ने कुछ सुझाव दिये है जो अत्यधिक संवेदनशील बालकों के लिए कुछ आपात स्थिति में उन्हें वातावरण से समायोजन करने में उसके लिये सहायक होते हैं।

(अ) नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करकेः– बाल अपराधी समाज का वह सदस्य होता है जो अपने आप में बहुत ज्यादा संवेदी और अनुकुलनशील होता है। उसे सुधारने के

लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती हैं, केवल उसका सहयोग करके उसे सुधारा जा सकता हैं। लेखक का मानना है कि जब भी उसने अपराध किया था तब उसमें उसके मित्रों का बहुत बड़ा हाथ होता है अतः सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि उसे उसके उन पुराने मित्रों से पृथक किया जाये जिनके साथ मिल कर उसने अपराध किया हैं क्योंकि हो सकता है उन्हीं के दबाव में आकर उसने अपराध किया हो।

(ब) मनोवैज्ञानिक से चर्चाः– जो बालक आदतन अपराधी होते हैं उनके लिए मनोवैज्ञानिक से राय लेना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आकस्मिक अपराधी के वातावरण और परिस्थितियों का परिवर्तित करने के बाद यह माना जा सकता है कि वह दूबारा अपराध नहीं करेगा लेकिन आदतन अपराधी तो हालातों को बदलने के बाद इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वह फिर से अपराध नहीं करेगा, उसकी मानसिक स्थिति को सही–सही जानने के लिए मनोवैज्ञानिक से परामर्श आवश्यक हैं।

(स) सहायक समूहों से संपर्कः– अपने लेख के निष्कर्षो में लेखक बताते है कि पुनर्स्थापन के इस समय में बालक और उसके माता–पिता दोनों को चाहिए कि वे उन लोगों से संपर्क करे जो उन जैसी ही समस्या का सामना कर रहे हैं।

(द) वैकल्पिक स्कूलः– जिन विद्यालयों में ये बालक पहले से शिक्षा ले रहे हैं, अपराध के बाद उन्हें फिर से उसी विद्यालय में भेजना उसके स्वाभिमान के लिए उचित नहीं है, अतः उन्हें किसी नये माहौल वाले वैकल्पिक विद्यालय में भेज कर उसके पुनर्स्थापन को आसान बना सकते हैं।

(य) व्यसनों को रोक करः– लेखक का मानना है कि ऐसे समय इस बात की पूरी संभावना है कि बालक ऐसे दौर में दुर्व्यसनों का शिकार हो जाये, अतः ऐसी स्थिति में उसका पुनर्स्थापन उतना ही कठिन हो जायेगा।

जार्वोस्की [5] (2007) ने अपने समकालीन लेख मे अमेरिका जैसे विकसित देश के अत्यन्त ज्वलंत मुद्दे को उठाया है। एण्ड्रेरिया जार्वोस्की के अनुसार अमेरिका में 10 से 20 वर्ष की आयु के बीच के बालकों (Teen Ager) में अपराध की प्रवृत्ति का अनापेक्षित रूप से बढ़ना एक चिन्ता का विषय हैं। किशोरों का इन जघन्य और

खतरनाक अपराधों में लिप्त पाया जाना सामाजिक व्यवस्था के लिए एक खतरनाक सूचकांक हैं, आम तौर पर ये बालक जिन अपराधों में लिप्त पाये गये हैं उनकी रूपरेखा सामान्य रूप से युवाओं के द्वारा बनाई जाती हैं। यहां तक कि हत्या जैसे अपराध भी मानसिक रूप से विक्षिप्त युवा अपराधियों के द्वारा इन बालको के माध्यम से कराये जाते हैं।

अपने लेख में एक उदाहरण के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि कई बार हम बालकों के द्वारा की गई नादानियों को अपराध मान बैठते हैं जबकि उनके अपराध के पीछे घर के ही किसी सदस्य का हाथ होता हैं। 11 वर्ष का एक बालक एक असली बन्दुक से जो उसके पिता की हैं, उससे अपने साथी के साथ 'चोर पुलिस' का खेल खेलते समय उसे घायल कर देता हैं, तो इसके लिए उसे अक्सर उत्तरदायी मान लिया जाता हैं, लेकिन उसे पिस्तौल देने का काम उसके घर के ही बड़े सदस्य का है।

इस प्रकार के मामले कुछ देशों में वयस्क अपराधियों की अदालत में ले जाये जाते हैं । अमेरिका में भी इस प्रकार के मामले बाल न्याय अधिनियम से पहले सामान्य अदालतों मे लाया जाता था। इन देशो में एक पृथक कानून की आवश्यकता है। बाल अपराधियों के कारणों का जिक्र करते हुए वे लिखते है कि बाल अपराधी वे बालक होते हैं जो अशिक्षित होते हैं, असामाजिक होते हैं, बेराजगार होते है तथा केवल शारीरिक श्रम को बेच कर अपना गुजारा करने वाले होते हैं, इस लिए उनके साथ थोडा सा नरमी से काम लेने की आवश्यकता हैं।

अन्त में निष्कर्ष के रूप मे लिखा हैं कि समाज के द्वारा बाल अपराध को शुरूआती दौर में ही रोक लिया जाये तो वयस्क अपराध की तरह यह बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होगा।

मालाकोन्डाईया एवं राधाकृष्णमूर्ति [6] (2007) के अनुसार बालकों का मित्र समूह उन्हें अपराध करने के लिये प्रेरित करता हैं। गन्टूर (आंध्र प्रदेश) में नगरीय शहरी गिरोह पर किये गये अपने एक अध्ययन में उन्होंने पाया कि गिरोह की अपनी एक

विशेष कार्यप्रणाली तथा हर एक व्यक्ति का पद स्थान होता है, इसी के निर्धारण का आधार उसकी आयु, गिरोह में सक्रियता एवं क्षमता के आधार पर होता है।

जो बालक जिस पद पर होता है उसे उस पद के अनूरूप कुछ कार्य दिये होते है जिसके आधार पर उसका मेहनताना तथा अपराध से होने वाले लाभ का प्रतिशत निर्धारित होता हैं।

गिरोह अपराध की बढती भयावहता का उदाहरण देते हुऐ लेखक ने अपने अध्ययन में पाया था कि वर्ष 2002 में गन्टूर में वहां के प्रशासन के द्वारा करीब 250 रजिस्टर्ड अपराधी समुहो को पाया था जिनमें से 185 गिरोह 'ए' श्रेणी मे आते है अर्थात् इन पर हत्या, बलात्कार, गोली कांड तथा जबरदस्ती किसी प्रकार की संपत्ति का हरण करने का आरोप था।

120 अपराधी समूह ऐसे थे, जिन पर सामान्य तथा छोटे अपराधों का आरोप था इनमें चेन स्नेचिंग, मादक द्रव्य, व्यसन तथा इनका स्थानांतरण व परिवहन जैसे अपराध शामिल थे। इन लेखकों के अध्ययन को फ्रेडरिक थ्रेशर के शिकागो में किये गिरोह सिद्वान्त पर आधारित अध्ययन के बाद भारत के संदर्भ में मील का पत्थर माना जा सकता हैं। गिरोह का विस्तार करने के लिये नये सदस्य इसमें तेजी से बढते जाते हैं क्योंकि किशोर वय वह अवस्था है जब अक्सर बालकों को पैसे की आवश्यकता होती है और पैसे की इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये वे इस संगठित अपराध के समूहों (गिरोहों) से जुड़ते जाते हैं।

इनके अध्ययन में यह भी सामने आया कि ये इन समूहों का मुख्य कार्य हिंसा करना होता है क्याकि हिंसा पैसा पाने का सबसे आसान लघु मार्ग हैं। ये समूह अपने नये सदस्यों का नये परिवेश में अपने समूह के मूल्यों के अनुरूप पुर्नसमाजीकरण करते हैं, उन्हें हिंसा करने एवं हथियारों के प्रयोग का प्रशिक्षण देते हैं, उनके लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, तथा उनका नेतृत्व करते हैं। अपने लेख के अन्त में अध्ययन किये गये गिरोहों का उनके आकार, कार्य प्रणाली, विशेषज्ञता, समर्थन किये

गये राजनैतिक दल, आरोपों की संख्या तथा भौगोलिक क्षेत्र मे उनकी स्थिति के आधार पर उनका तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

लीगी [7] (2007) ने अमेरिका के अपराध जगत को अपने अध्ययन इस लेख का केन्द्र बिन्दु बनाया है, लीगी के अनुसार आज अमेरिका में किसी भी टी. वी. चैनल को खोला जाये तो उस पर हमेशा ऐसी कई सारी खबरें ऐसी होती हैं जिनमें बच्चों के द्वारा अपराध का होना बताया जाता हैं। इन खबरों मे एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन अपराधों को अंजाम देने वालो में अधिकांशतया अपराधी बालक (पुलिंग) हैं। इस लेख में एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या अमेरिका में कोई ऐसा विशेष कारण है जिसकी वजह से केवल बालक ही अपराध करते हैं। केवल बालक ही सारे नियमों/कायदों का उल्लंघन क्यों करते हैं। अपने अध्ययन से पूर्व एक प्राक्कल्पना के रूप में माना है कि शायद अमेरिका में बच्चों मे पाया जाने वाला तनाव इसके लिए उत्तरदायी है, लेखक ने अपने शब्दों में इसे ''सामान्य तनाव सिद्धान्त'' कहा है।

बाल अपराध एवं शिकार शोध प्रतिवेदन अमेरिका 2006 को आधार बनाते हुए लेखक लिखते हैं कि इस शोध में उभर कर आया है कि अमेरिका में अधिकांश हिंसात्मक और प्राणघातक अपराध बालकों के द्वारा किये जाते हैं। वर्ष 2003 में स्कूली बच्चों पर किये गये प्रयोगों में पाया गया कि 33 प्रतिशत बालक ऐसे थे जिनको अपने पिछले 12 माह के समय में किसी भी प्रकार के हिंसात्मक झगड़ों का अनुभव था।

अपने अध्ययन से सामने आये निष्कर्ष में लिखा है कि बालको पर उनके बचपन में ही डाले गये दबाव और उनसे उत्पन्न होने वाली कुण्ठाएँ ही उनके द्वारा किये अपराधों के कारण होते हैं। एग्नु (Agnu) के ''समुदाय, तनाव और विचलनः तनाव का एक बहुस्तरीय मॉडल'' शीषर्क से लिखे गये शोध पत्र में से उधार लिये गये इस ''सामान्य तनाव सिद्धान्त'' को आधार मानते हुए अमान्डा लीगी लिखते हैं कि तनाव और उससे उत्पन्न नकारात्मक तनाव ही विचलन का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कारण होते हैं।

डॉ. शर्मा [8] (2006) जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे बालक के मानसिक विकास क्रम को समझाया है, अपने लेख **"किशोरावस्था"** डॉ. शर्मा के अनुसार मानव जीवन के विकास की कई अवस्थाएँ हैं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था या वयःसंधि (प्यूबर्टी) व किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, और वृद्वावस्था । इन सब अवस्थाओं में किशोरावस्था में प्रवेश बड़ा ही भ्रांतिमय व जिज्ञासापरक होता है । ऐसा लगता है कि माता पिता का व्यवहार अचानक बदल गया है । आसपास के लोगों का व्यवहार भी विचित्र लगता है । कई नई, अनजान सी भावनाएं मन को अक्सर उद्वेलित करती हैं। अतः किशोरावस्था सबसे संवेदनशील अवस्था होती हैं।

कोर्सारो [9] (2005) बचपन के समाजशास्त्र को समाजविज्ञानों की एक शाखा बताते हुए विलियम कोर्सारो (2005) लिखते है कि वह समाज ही है जो बचपन की अवधारणा को रखता है, तथा उसे संगठित करता है। समाज का ही उत्तरदायित्व है कि बचपन में बालकों का उचित रूप से समाजीकरण करे क्योंकि जैसा बच्चों का समाजीकरण किया जायेगा भविष्य में उनके द्वारा किया गया व्यवहार, पूरे समाज को और उस हर व्यक्ति व घटना को प्रभावित करता है जो उसके संम्पर्क में आता हैं, इस नाते प्रत्येक समाज की यह नैतिक जिम्मेदारी होती है कि बचपन में बालकों के उचित समाजीकरण को अपने केन्द्रीय उद्देश्यों में रखें।

विले [10] **(1958)** ने अपनी पुस्तक पारिवारिक सम्बन्ध एवं विचलित व्यहवार (Family relation and Deviant behaviour) में लिखा है कि सामाजिक अव्यवस्थापन, सांस्कृतिक संघर्ष, असीमित इच्छाएँ तथा नियंत्रण को अप्रभावी करने का प्रयास विचलित व्यहवार को प्रोत्साहन देता है । विले लिखते है कि पहले से चले आ रहें सिद्धान्त तथा तात्कालिक सिद्धान्त एक कारकीय है। एक कारकीय सिद्धान्तों की सीमा यह है कि ये सभी प्रकार के बाल अपराधियों के अपराध करने के पीछे छिपे कारणों के विश्लेषण में समर्थ नहीं होते। सभी प्रकार के बाल अपराधों पर विचार करने के पश्चात् इन्होंने बाल अपराधियों को सामाजिक अपराध, उद्देश्यानुकूल अपराध, स्नायु संबंधी

अपराध तथा अन्य प्रकार के अपराधों में वर्गीकृत किया हैं। जॉन ने बाल अपराध को नियंत्रित करने के साधनों के बारे में भी लिखा है ।

6- Research gaps identified in the proposed filed of investigation

प्रस्तावित शोध कार्य में शोध अन्तराल की पहचान

पूर्व में बाल अपराध एवं उनकी समस्याओं पर अनेक प्रकार के शोध कार्य अनेक शोधार्थियों द्वारा किये गये है । जिन पर विशेष रुप से मनोविश्लेषणात्मक एवं आर्थिक दृष्टिकोणों से शोध कार्य हुए है । परन्तु बाल संरक्षण एवं पुनर्वास के पक्षों को विशेष रुप से ध्यान रखते हुए अभी तक इस विषय पर समाजशास्त्रीयों के द्वारा अध्ययन नहीं हो पाये हैं । अतः इस शोध के माध्यम से बाल संरक्षण कानूनों का विश्लेषण व पुनर्वास की नीतीयों एवं इसके फलस्वरुप सशक्तिकरण एवं अन्य पहलुओं का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की दृष्टि से अध्ययन किया जायेगा । जो कि कानून के समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर पायेगा, साथ ही इस बात का भी अध्ययन किया जायेगा कि किस प्रकार कानून एवं नीतीयाँ सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं ।

7. Major Hypothesis

मुख्य प्राकल्पनाऐं

प्राकल्पना या उपकल्पना किसी समस्या के समाधान के विषय में अग्रिम पूर्व सोचा गया विचार है। यह शोध क्रिया का अस्थायी केन्द्रित किन्तु अति महत्वपूर्ण विचार है। जिसे अनुसंधान का मार्गदर्शन कहा जाता है।

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 व समेकित बाल संरक्षण योजना का प्रभाव सम्पूर्ण बाल उन्नयन पर पड़ेगा।
2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 व समेकित बाल संरक्षण योजना से बालकों को पर्याप्त पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा भावना में वृद्धि होगी।

3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 व समेकित बाल संरक्षण योजना से किशोरों का सामाजिक विचलन समाप्त होगा अपितु किशोरों के व्यक्तित्व विकास में भी सहायता मिलेगी।

8- Materials and Methods/Research Methodology :

अध्ययन हेतु सामग्री एवं अनुसंधान की पद्धतियां :

प्रस्तावित अनुसंधान में परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही पद्धतियों की सहायता से तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा ।

1. **अध्ययन का क्षेत्रः** इस शोध कार्य में अध्ययन का क्षेत्र अजमेर संभाग के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के समस्त बालगृहों के अपचारी व उपेक्षित आवासित बालक व बालिकाऐं होंगे ।
2. **उत्तरदात्ताओं का चयनः** प्रस्तावित अनुसंधान में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के बालगृहों के लगभग 300 बालक–बालिकाओं, 50 संरक्षकों का चयन स्तरित निदर्शन पद्धति के माध्यम से किया जायेगा । जिसके अन्तर्गत आयु समूह, लिंग, जाति, धर्म इत्यादि स्तरों के आधार पर निदर्शन का चयन अनुसंधान कार्य हेतु किया जायेगा । अनुसंधान को प्रभावी बनाने हेतु बालक–बालिकाओं के व्यवहार का अध्ययन मनोवैज्ञानिक पद्धति के अुनसार करने का प्रयास किया जायेगा । साथ ही किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति के सदस्यों (जो कि जिला स्तर पर गठित होती है), विभाग से जुड़े लगभग 20 अधिकारियो, बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न एन.जी.ओ के प्रतिनिधियों तथा पंचायत–ग्राम पंचायत स्तर के सदस्यों का चयन उपरोक्त पद्धति के अनुसार किया जायेगा ।
3. **तथ्यों के चयन की पद्धतियॉं :** प्रस्तावित शोधकार्य अजमेर संभाग के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के समस्त बालगृहों के अपचारी व उपेक्षित आवासित बालक–बालिकाओं पर आधारित है । अध्ययन की ईकाईयों के चयन में समस्त बालगृहों के अपचारी व उपेक्षित बालक–बालिकाओं को ध्यान में रखते हुए स्तरित निदर्शन का प्रयोग करते हुए प्राथमिक तथ्यों एवं द्वितीयक तथ्यों के माध्यम से तथ्य संकलन किया जायेगा, जिसके लिए प्राथमिक स्त्रोत हेतु साक्षात्कार, साक्षात्कार अनुसूची एवं वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जायेगा । साथ ही साथ विशेष परिस्थितियों में अवलोकन पद्धति द्वारा भी तथ्य

संकलन करने का प्रयास रहेगा । द्वितीयक स्त्रोत में पत्र–पत्रिकाऐं, डायरियां, लेख, पुस्तकें, दृश्य–श्रव्य (ऑडियो विजुअल) रिकॉर्डस तथा प्रकाशित व अप्रकाशित, विभागीय पत्रावलियॅं और साथ ही साथ न्यायालय द्वारा दिये गये फैसलों का उपयोग किया जायेगा । विषय की महत्ता को समझते हुए दृश्य–श्रव्य साधनों जैसे टेपरिकॉर्डर, विडियो कैमरा इत्यादि उपकरणों का उपयोग अध्ययन के दौरान किया जायेगा ।

साथ ही साथ एकत्रित तथ्यों एवं आंकड़ो को चित्रमय पद्धति सारणीयन का प्रयोग करते हुए तथ्यों के विश्लेषण में आवश्यकतानुसार सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग प्रस्तावित है । जिसके अन्तर्गत सह–सम्बन्ध, सह–सम्बन्ध विश्लेषण, गुण साहचर्य के साथ अध्ययन की सार्थकता हेतु टेस्ट T, Z एवं F आदि में से आवश्यकतानुसार जाँच हेतु परिक्षण कार्य में उपयोग लाया जायेगा ।

9. <u>Chapterwise Detail of Proposed Research :</u>

प्रस्तावित अनुसंधान की प्रारम्भिक अध्याय विवरण :

प्रथम अध्याय :	सैद्धान्तिक और अवधारणात्मक विवेचन।
द्वितीय अध्याय:	पद्धतिशास्त्र।
तृतीय अध्याय :	उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि।
चतुर्थ अध्याय :	देखरेख और संरक्षण वाले बालकों की समस्याऐं।
पंचम अध्याय :	"किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 की बालकों के संरक्षण एवं भूमिका" ।
षष्ठ्म अध्याय :	समेकित बाल संरक्षण योजना का बालकों पर पड़ने वाला प्रभाव ।
सप्तम अध्याय :	अधिनियम व योजना की सफलता व असफलता का मूल्यांकन ।

निष्कर्ष एवं सुझाव

संदर्भ सूची

नोट्स

साक्षात्कार अनुसूची

<u>10</u>- <u>List of References Cited</u>

<u>उद्धृत संदर्भ सूची</u>

[1]. Bhargava, Vinita (2005). Adoption in India: Policies and Experiences.

[2]. Bhat, Bilal (2011). Rehabilitation of Child Labour: Problems and Prospects with Special Reference to Kashmir.

[3]. Connolly, Marie - Ward, Tony. – Crichton, Yvonne Culture and Child Protection: Reflexive Responses

[4]. Corsaro, William (2005), The Sociology of Childhood.

[5]. Carlos, Joey (2009). The Facts on Juvenile Delinquency.

[6]. Ganga, R. & Suputhai, M. (2007). Children's Rights as Basic Human Rights: Sensitization of Stakeholders.

[7]. Garg, Poonam Sondhi (2004). Street Children: Lives of Valor and Vulnerability.

[8]. India Committee of the Netherlands; Report by Ministry of Women and Child Development – Government India. Summary of "Study on Child Abuse: INDIA 2007.

[9]. Jaworski, Andrea (2008). Children Behind Bars-The Juvenile Justice System.

[10]. Jhon, Wiley (1936). Family ralation and deviant behavior.

[11]. Jaiswal, Prachi (2000). Child Labour: A Sociological Study.

[12]. Lindse, (2009). Delinquency Selected studies.

[13]. Kas, Mazurek (1994). Comparative Studies in Special Education.

[14]. Ligi, Amanda (2007). Gender Differences in Juvenile Delinquency Cases.

[15]. Malakondiah, M. and Radhakrishna, Murty(2007). Street Gangs in Guntur:A Study in the Sociology of Deviance and Crime.

[16]. Pati, Rabindra Nath (1991). Rehabilitation of child labourers in India.

[17]. Sharma, Sudhir Kumar (2006). Delinquency: Selected Studies.

[18]. Shaw, Ian & Gould, Nick (2002) .Qualitative Research in Social Work.

[19]. Siddiqui, Noor Jahan(1997). Adolscent Orphan Girls in Delhi: A Sociological Profile.

[20]. Thompson, Steve (2008). Rehabilitation Options for Juvenile Delinquents.

Outlines of the synopsis seen and approved

6.7.2013

Signature of the Superviser with date

Signature of the candidate with date

5/7/2013

(Dr. H.N.Vyas)
Lecturer, Department of Sociology
M.L.V.Govt. PG College
Bhilwara (Raj.)

(Abhishek Gujarati)